

राजस्थान सरकार


कृषि आयुक्तालय राज0 जयपुर

क्रमांक- एफ.18 (91-IV)/ आ.कृ./वा.पू./ट्रैक्सी/2020-21/43-83 दिनांक-28/5/21

कार्यालय-आदेश

वित्त विभाग के आई.डी. नवम्बर 102101663 दिनांक 25.03.2021 के संबंध में वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(4) एफ.डी./SPFC/2017 जयपुर दिनांक 31.03.2021 में जारी किये गये दिशा-निर्देशों की अनुसरण में कृषि आयुक्तालय के अधीन कार्यालयों को किराये के वाहन एवं राजकीय वाहन रहित खण्ड स्तर पर 01 व 28 सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) उप जिला स्तर कुल 29 किराये के वाहनों की वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये निम्न कार्यालयों हेतु परिसंचालन की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


क्र. सं.	नाम कार्यालय
1	संयुक्त निदेशक कृषि खण्ड सीकर। (01)
2	सहायक निदेशक कृषि (वि0) उप जिला स्तर (28) झोटवाडा / सांगानेर / शाहपुरा / ब्यावर / चिड़ावा / बयाना / किशनगढ़बास / राजगढ़ / बहरोड़ / गंगापुरसिटी / मालपुरा / गिर्वा / गुलाबपुरा / बेगू / कपासन / नाथद्वारा / भीनमाल / सोजत / कुचामनसिटी / मेडतासिटी / अनूपगढ़ / जैसलमेर / नोहर / चित्तौड़गढ़ / बीकानेर / केकडी / सांगवाड़ा / हिण्डौनसिटी


28.5.21
(डॉ. ओम प्रकाश)

आयुक्त कृषि

क्रमांक- एफ.18 (91-IV)/ आ.कृ./वा.पू./ट्रैक्सी/2020-21/43-83 दिनांक-28/5/21
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त कृषि आयुक्तालय जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार कृषि आयुक्तालय राज. जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक कृषि (विस्तार) कृषि आयुक्तालय, जयपुर/सीकर।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, (उप निदेशक) कृषि आयुक्तालय को ऑनलाईन सम्प्रेषण हेतु।
5. संबंधित सहा.निदेशक कृषि (विस्तार)
6. वाहनपूल शाखा पत्रावली।


(उदयभान सिंह)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)